डिक्री

(आर्डर 20, रूल्स 6–7 जाब्ता दिवानी)

(Civil Procedure Code Appendix D-1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम किशनगढ़ (अजमेर)

व इजलास देवेन्द्र कुमार आई.ए.एस.

1. लाली पुत्री स्व0 श्री जगन्नाथ पत्नि श्री सोहनलाल जाति खटीक निवासी ग्राम नोहरिया तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर हाल निवासी मण्डावरी तहसील दूदू जिला जयपुर (राज0)

वादीया

बनाम

1. मदन लाल पुत्र स्व0 श्री जगन्नाथ जाति खटीक
2. मु. मूली देवी पत्नि स्व0 श्री जगन्नाथ जाति खटीक

   निवासीगण ग्राम नोहरिया तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
3. तहसीलदार किशनगढ़
4. उप पंजीयक किशनगढ़

प्रतिवादीगण

दावा बाबत् : 88, 53, 188 आर.टी.एक्ट

मुकदमा नम्बर : 148/2008

निर्णय दिनांक :

न्यायालय हाजा में वकील पक्षकारान् की उपस्थिति में वाद पत्र की बहस सुनने के बाद आज तारीख 13.11.2019 को (डिक्रीदार) पीठासीन अधिकारी श्री देवेन्द्र कुमार, आई.ए.एस. के समक्ष निपटारे के लिये पेश होने पर हम इस निष्कर्ष पर पंहुचे है कि वाद पत्र के साथ संलग्न प्रदर्श–2 जमाबन्दी सम्वत् 2061 से 2068 के खाता संख्या 102 के कॉलम संख्या 17 में वर्णित नामान्तकरण संख्या 233 दिनांक 19.09.1998 जो स्वर्गीय जगन्नाथ जो वादीया व प्रतिवादी सं0 1 के पिता एवं प्रतिवादी सं0 2 के पति की विरासत का नामान्तकरण का अंकन है। अतः वर्ष 2005 से पूर्व ही वादीया के पिता की विरासत प्रतिवादी सं0 1 व 2 के हक में स्वीकार हो चुकी है। अतः वादीया का वाद खारिज किया जाता है।

यह डिक्री आज तारीख 13/11/2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(देवेन्द्र कुमार)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ (अजमेर)
राजस्व वाद संख्या 148/2008

1. लाली पुत्री स्व0 श्री जगन्नाथ पत्नि श्री सोहनलाल जाति खटीक निवासी ग्राम नोहरिया तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर हाल निवासी मण्डावरी तहसील दूदू जिला जयपुर (राज0)

वादीया

बनाम

1. मदन लाल पुत्र स्व0 श्री जगन्नाथ जाति खटीक
2. मु. मूली देवी पत्नि स्व0 श्री जगन्नाथ जाति खटीक
   निवासीगण ग्राम नोहरिया तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
3. तहसीलदार किशनगढ़
4. उप पंजीयक किशनगढ़

प्रतिवादीगण

निर्णय वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

दिनांकः 13/11/2019

उपस्थितः श्री इन्द्रेश कुमार, वादिनी अभिभाषक
श्री डी0सी0 सेठी, प्रतिवादी अभिभाषक

निर्णय

1. यह वाद वादीया द्वारा जरिये वकील श्री इन्द्रेश कुमार के माध्यम से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 88, 53, 188 के अन्तर्गत विरूद्ध प्रतिवादीगण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि –

वादीया द्वारा वाद में दावा किया है कि वादीया एवं प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 के संयुक्त कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 2 रकबा 03–06–00 एवं खसरा नम्बर 360/683 रकबा 10–00–00 कुल किता 2 कुल रकबा 13–06–00 भूमि वाकै ग्राम नोहरिया पटवार क्षेत्र मुण्डोती तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर में स्थित है। उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि में वादीया एवं प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 का संयुक्त प्रत्येक का 1/3 हिस्सा निहित है। उक्त वर्णित भूमि मृतक जगन्नाथ के नाम राजस्व रिकार्ड इन्द्राज थी यह भूमि विरासत की है तथा जगन्नाथ के मरणोपरान्त सहवन से मदनलाल पिता जगन्नाथ एवं मूली बैवा जगन्नाथ के नाम राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज हो गई, जबकि वादीया जगन्नाथ की पुत्री है एवं वादीया का भी उक्त भूमि में हिन्दू उत्तराधिकार के अनुसार हिस्सा है। राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज होने का फायदा उठा

Devendra
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

Scanned by CamScanner

कर प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 मिलकर भूमि का बैचान करने पर आमादा है। वाद कारण दिनांक 11.07.2018 को उत्पन्न हुआ। अतः वादीया द्वारा वाद वर्णित कृषि भूमि में वादीया को खातेदार, काश्तकार घोषित किये जाकर खातेदारी विभाजन की डिक्री बहक वादिया विरूद्ध प्रतिवादी सं0 1 व 2 पारित करने, दिनांक 19.09.1998 को तहसीलदार द्वारा दर्ज नामान्तकरण संख्या 233 को शून्य घोषित किया जाकर निरस्त किये जाने तथा प्रतिवादी सं0 1 व 2 को वाद वर्णित कृषि आराजी में किसी को बैचान, रहन, बख्शीश, दान, वसीयत नहीं करने हेतु जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का निवेदन किया।

3. प्रतिवादीगण सं0 1 से 4 को वादपदों के स्थिरीकरण के लिये प्रतिवादी को सम्मन (आदेश 5 नियम 1 व 5 व्यवहार प्रक्रिया संहिता) के तहत् नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादी सं0 1 व 2 के वकील द्वारा जवाब पेश नहीं करने पर दिनांक 21.01.2011 को उनका जवाब दावा बन्द किया गया। प्रतिवादी सं0 3 पैरोकार सरकार द्वारा दिनांक 15.10.2008 को जवाब दावा पेश किया गया। प्रकरण में प्रतिवादी सं0 1 व 2 तथा 4 का वाद पत्र का कोई भी प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं होने के कारण प्रकरण में विवादक बिन्दू कायम नहीं किये गये। वादीया द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में दिनांक 16.09.2015 को अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सी0पी0सी0 के तहत् बतौर साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया तथा अपने वाद पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात् प्रदर्श–1 नामान्तकरण संख्या 233 दिनांक 19.09.1998 का जिस पर A to B में पिता के नाम का अंकन है। प्रदर्श–2 जमाबन्दी सम्वत् 2058 से 2059 तथा प्रदर्श–3 खसरा गिरदावरी सम्वत् 2062 से 2065 की पुष्टि की।

4. हमारे द्वारा उक्त प्रकरण में वकील वादीया की एक पक्षीय बहस सुनी गई। वाद पत्र में वर्णित तथ्यों के संबंध में गहनता से अवलोकन किया गया। वादीया द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात् प्रदर्श–1, प्रदर्श–2 व प्रदर्श–3 में वर्णित अंकन का अवलोकन किया गया। हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम के प्रावधान अनुसार धारा 6

Devolution of interest in coparcenary property. – (1) On and from the commencement of the Hindu Succession (Amendment) Act, 2005 (39 of 2005), in a Joint Hindu family governed by the Mitakshara law, the daughter of a coparcener shall,-

(*a*) by birth become a coparcener in her own right the same manner as the son;

(*b*) have the same rights in the coparcenery property as she would have had if she had been a son;

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

Scanned by CamScanner

(c) be subject to the same liabilities in respect of the said xoparcenery property as that of a son, and any reference to a Hindu Mitakshara coparcener shall be deemed to include a reference to a daughter of a coparcener:

Provided that nothing contained in this sub-section shall affect or invalidate any disposition or alienation including any partition or testamentary disposition of property which had taken place before the 20th day of December, 2004.

(2) Any property to which a female Hindu becomes entitled by virtue of sub-section (1) shall be held by her with the incidents of coparcenary ownership and shall be regarded, notwithstanding anything contained in this Act or any other law for the time being in force, as property capable of being disposed of by her by testamentary disposition.

(3) Where a Hindu dies after the commencement of the Hindu Succession (Amendment) Act, 2005 (39 of 2005), his interst in the property of a Joint Hindu family governed by the Mitakshara law, shall devolve by testamentary or intestate succession, as the case may be, under this Act and not by survivorship, and the coparcenery property shall be deemed to have been divided as if a partition had taken place and,-

(a) the daughter is allotted the same share as is allotted to a son;

(b) the share of the pre-deceased son or a pre-deceased daughter, as they would have got had they been alive at the time of partition, shall be allotted to the surviving child of such pre-deceased son or of such pre-deceased daughter; and

(c) the share of the pre-deceased child of a pre-deceased son or of a pre-deceased daughter, as such child would have got had he or she been alive at the time of the partition, shall be allotted to the child of such pre-deceased child of the pre-deceased son or a pre-deceased daughter, as the case may be.

Explanation.-For the purposes of this sub-section, the interest of a Hindu Mitakshara coparcener shall be deemed to be the share in the property that would have been allotted to him if a partition of the property had taken place immediately before his death, irrespective of whether he was entitld to claim partition or not.

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने Prakash & Ors. V. Phulavati & Ors. में

"17. The text of the amendment itself clearly provides that the right conferred on a "daughter of a coparcener" is "on and from the commencement of the Hindu Succession (Amendment) Act, 2005". Section 6(3) talks of death after the amendment for its applicability. In view of plain language of the statute, there is no scope for a different interpretation than the one suggested by the text of the amendment. An amendment of a substantive provision is always prospective unless either expressly or by necessary intendment it is retrospective. [Shyam Sunder V. Ram Kumar, (2001) 8 SCC 24, paras 22 to 27] In the present case, there is neither any express provision for giving retrospective effect to the amended provision nor necessary intendment to

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

Scanned by CamScanner

that effect. Requirement of partition being registered can have no application to statutory notional partition on opening of succession as per unamended provision, having regard to nature of such partition on opening of succession as per unamended provision, having regard to nature of such partition which is by operation of law. The intent and effect of the amendment will be considered a little later. On this finding, the view of the High Court cannot be sustained.

प्रदर्श–2 जमाबन्दी सम्वत् 2061 से 2068 के खाता संख्या 102 के कॉलम संख्या 17 में वर्णित नामान्तकरण संख्या 233 दिनांक 19.09.1998 जो स्वर्गीय जगन्नाथ जो वादीया व प्रतिवादी सं0 1 के पिता एवं प्रतिवादी सं0 2 के पति की विरासत का नामान्तकरण का अंकन है। अतः वर्ष 2005 से पूर्व ही वादीया के पिता का विरासत प्रतिवादी सं0 1 व 2 के हक में स्वीकार हो चुकी है। अतः वादीया का वाद खारिज किया जाता है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 12/11/19... को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(देवेन्द्र कुमार)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2019.12.02 18:17:48 IST
Reason: SelfAttested
Location: